पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सुधा सिंह एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2013 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) संख्या 662

27 सितंबर 2023

[माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा]

विचार के लिए मुद्दा

क्या वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध उस लोक सेवक की मृत्यु के बाद भी ज़ब्ती की कार्यवाही जारी रह सकती है, जिसके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, क्योंकि लोक सेवक के विरुद्ध सतर्कता विभाग का मामला समाप्त कर दिया गया है, जबकि इस न्यायालय के समक्ष अन्य अपीलकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी भी नहीं था और उस पर 2009 के अधिनियम के तहत कार्यवाही भी नहीं की गई थी?

हेडनोट्स

बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 - धारा 13, 14, 15 और 19 - संपत्ति की जब्ती - अपराधी लोक सेवक की मृत्यु के बाद जब्ती की कार्यवाही जारी रखना - अपराधी लोक सेवक की संपत्ति जब्त करने के निर्देश देने वाले आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील - अपीलकर्ता की ओर से तर्क कि लोक सेवक की मृत्यु के बाद जब्ती की कार्यवाही पोषणीय नहीं रहती है

और अपीलकर्ता संख्या 1 की संपत्ति राज्य सरकार द्वारा जब्त नहीं की जा सकती है क्योंकि अपीलकर्ता संख्या 1 सरकारी सेवक नहीं है और वह संबंधित सतर्कता मामले में आरोपी नहीं है।

निर्णय: ऐसी स्थिति में जब्ती कार्यवाही जारी रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जब लोक सेवक, जिसके विरुद्ध अवैध तरीकों से और आय के अज्ञात स्रोत से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, की मृत्यु हो गई हो - राज्य को उस लोक सेवक की मृत्यु के बाद भी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं है, जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है - इसके अतिरिक्त लोक सेवक के उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन या अन्य अपीलकर्ता/विपक्षी पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने का भी कोई प्रावधान नहीं है - वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध जब्ती कार्यवाही जारी रखना, जब अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप उस लोक सेवक के विरुद्ध है, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है और इस आरोप के अभाव में कि ऐसा अपीलकर्ता/विपक्षी पक्ष लोक सेवक था या उसने स्वयं संपत्ति अर्जित की थी, किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में न्याय का उपहास होगा - यह तर्क कि अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है, अधिक प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि 2009 का अधिनियम एक पूर्ण संहिता है और जब यह ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान नहीं करता है, तो यह न्यायालय इसे नहीं पढ़ सकता। ऐसी कोई बात जो मौजूद नहीं है और ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें जो विधायिका ने अपने विवेक से प्रदान नहीं की है - अधिनियम, 2009 के अंतर्गत ज़ब्ती आदेश को जुर्माना मानने और मृतक-अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के विरुद्ध उसे जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है - आक्षेपित निर्णय अपास्त - अपील स्वीकार की जाती है। (अनुच्छेद - 12, 14-16)

न्याय दृष्टान्त

शिव शंकर वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सतर्कता के माध्यम से, 2011(3) पीएलजआर

813; यू. सुभद्रम्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2016) 7 एससीसी 797; रवि सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य (2018) 11 एससीसी 242; रमेशन (मृत) बनाम केरल राज्य, आपराधिक अपील संख्या 77 दिनांक 21.01.2020 के आदेश के माध्यम से ....**लागू नहीं माना गया।**

अधिनियमों की सूची

बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

भारतीय दंड संहिता

दंड प्रक्रिया संहिता

मुख्य शब्दों की सूची

संपत्ति की जब्ती - अपराधी लोक सेवक की मृत्यु के पश्चात जब्ती कार्यवाही जारी रखना ; आय से अधिक संपत्ति ; लोक सेवक के उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन ; जुर्माना लगाना।

प्रकरण से उत्पन्न

विशेष न्यायालय संख्या 1, मुजफ्फरपुर के विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्ती वाद संख्या 06/2012 में दिनांक 5 अगस्त, 2013 को पारित निर्णय एवं आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री रंजन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्रीमती अर्चना पालकर खोपड़े, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2013 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) वाद सं. 662

थाना कांड सं -84 वर्ष-2009 थाना-सी. बी. आई. मामला जिला-मुजफ्फरपुर से उद्भूत

==

1. सुधा सिंह पति श्री रवीन्द्र सिंह वर्तमान निवास महाकाली टावर सी-ब्लॉक फ्लैट संख्या 208 रंजन पथ अभियंता नगर, बेली रोड, थाना -दानापुर, जिला-पटना ।

2. रवींद्र प्रसाद सिंह पिता दिवंगत तुलसी सिंह निवासी गांव-जैतिपुर, थाना.-बिहटा, जिला-पटना वर्तमान निवासी महाकाली टावर सी-ब्लॉक फ्लैट संख्या 208 रंजन पथ अभियंता नगर, बेली रोड, थाना-दानापुर, जिला-पटना । **(हटा दिया गया)**

... ...अपीलकर्ता/ओ

बनाम

सतर्कता विभाग के माध्यम से बिहार राज्य

..............उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री रंजन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्रीमती अर्चना पालकर खोपडे, अधिवक्ता

==

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक : 27-09-2023

तत्काल अपील बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (इसके बाद 'अधिनियम, 2009' के रूप में संदर्भित) की धारा 17 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं, अर्थात् सुधा सिंह, अपीलकर्ता संख्या 1/विपक्षी संख्या 2, (जो दिवंगत रवीन्द्र प्रसाद सिंह की पत्नी हैं) एवं रवीन्द्र प्रसाद सिंह, अपीलकर्ता संख्या 2/विपक्षी संख्या 1, (जो अब दिवंगत हो चुके हैं) द्वारा दायर की गई है। यह अपील उस निर्णय एवं आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2013 के विरुद्ध है, जो माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी, विशेष न्यायालय संख्या-1, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा जब्ती वाद संख्या 06/2012 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा और जिसके अधीन विद्वान न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दायर याचिका के अनुसूची 'क' तथा 'ख' में वर्णित अपीलकर्ताओं की संपत्तियों की जब्ती का आदेश पारित किया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः-

दिनांक 12.05.2009 को एक सतर्कता थाना कांड संख्या 52/2009 दर्ज किया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) तथा भारतीय दंड विधान की धारा 409, 201, एवं 120बी के अंतर्गत अपीलकर्ता संख्या 2/उत्तरदाता संख्या 1 एवं एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध श्री राजीव रंजन से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर संस्थापित किया गया। विपक्षी संख्या 1, निरीक्षक भार एवं मापन, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध रिश्वत मांगने का आरोप था। छापा मारा गया और विरोधी पक्ष सं 1 और एक अन्य व्यक्ति को शिकायतकर्ता से 1,700/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जाँच करने के बाद, अधिकारियों को पता चला कि विरोधी पक्ष सं 1 ने Rs.10,50,501/- मूल्य की संपत्ति अर्जित की है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोत से गैर अनुतातिक थी। सतर्कता थाना कांड संख्या 52/2009 में चार्जशीट प्रस्तुत करने के उपरांत, दिनांक 10.08.2009 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के अंतर्गत सतर्कता थाना कांड संख्या 84/2009 के नाम से

नियमित प्राथमिकी उत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध दर्ज की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि विरोधी पक्ष सं 1 ने स्वयं के नाम के साथ-साथ अपनी पत्नी (यहां के बाद अपीलार्थी सं. 1), बेटे और परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। आगे की जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 12,96,516/- पाया गया है। तदनुसार, 2009 के सतर्कता थाना मामला संख्या 84 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सतर्कता-I, पटना के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 13 के अंतर्गत विद्वान प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया गया है और याचिका की अनुसूची ए और बी में दिखाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

3. नोटिस जारी किए गए और तीनों विपक्षी को तथा विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को विधिवत प्रदान किए गए तथा विपक्षी संख्या 1 एवं 2 वर्तमान अपील के अपीलकर्ता हैं। विपक्षी संख्या 3 की मामले की जांच से पहले ही मृत्यु हो गई और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अभिलेख में लाया गया। दोनों अपीलकर्ता/विरोधी पक्षों ने उत्तरदाता द्वारा जारी नोटिस में वर्णित अनुसूची 'क' एवं 'ख' की संपत्तियों की जब्ती के लिए राज्य की याचिका को अस्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए प्रत्युत्तर दायर किया। माननीय प्राधिकृत अधिकारी ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुए राज्य के पक्ष में आंशिक रूप से जब्ती आदेश को मंजूर किया और निर्णय दिया कि अनुसूची 'क' एवं 'ख' में वर्णित कुछ वस्तुओं को छोड़कर शेष वस्तुएं विपक्षी संख्या 1/अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा अवैध साधनों से अर्जित की गई हैं।

4. विद्वान प्राधिकृत अधिकारी के 5 अगस्त, 2013 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने तत्काल अपील दायर की।

5. तथापि, अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी सं 2 की मृत्यु 18 जनवरी, 2018 को हो गई और मृतक के बेटे द्वारा पूरक शपथ-पत्र दायर करके इस तथ्य को

इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 2, रवीन्द्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश, सतर्कता -1, पटना की न्यायालय में विशेष कांड संख्या 60/2009 सतर्कता थाना कांड संख्या 84/2009 से उद्भूत से संबंधित आगे की कार्यवाही, दिनांक 16 मार्च, 2021 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई है। अतः अपीलकर्ता संख्या 2, रवीन्द्र प्रसाद सिंह का नाम पक्षकारों की सूची से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है, और उनके विरुद्ध अपील समाप्त घोषित की जाती है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं को पिछली तारीखों पर सुना गया है।

7. यह अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि लोक सेवक की मृत्यु के बाद ज़ब्ती की कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं रहती है क्योंकि अभियोजन का मामला अधिनियम, 2009 की धारा 13 के अंदर नहीं आता और अपीलार्थी सं. 1 की संपत्ति को राज्य सरकार जब्त नहीं कर सकती है क्योंकि अपीलार्थी सं. 1 सरकारी कर्मचारी नहीं है और वह उपरोक्त सतर्कता मामले में आरोपी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि संबंधित लोक सेवक की मृत्यु के बाद, वैधानिक प्रावधानों के अभाव में उसके द्वारा अर्जित कथित आय से अधिक संपत्ति के संबंध में जब्ती की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती है और इस पहलू पर अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 4 फरवरी, 2015 के निर्णय पर भरोसा किया जो ***वर्ष 2014 की आपराधिक अपील (ए.न्या) संख्या 225, परमेश्वरी सिन्हा, दिवंगत कालिका प्रसाद सिन्हा की विधवा बनाम बिहार राज्य (सतर्कता विभाग)*** में दिया गया था। अपीलार्थियों की ओर से आगे प्रस्तुत किया गया कि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रक्रिया और निष्कर्ष एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, जब्ती कार्यवाही के आदेश का निष्पादन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुख्य मामले के परिणाम के अधीन है। वर्तमान मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत चल रही कार्यवाही पहले ही बंद कर दी गई है, और

लोक सेवक को हमेशा दोषमुक्ति की अवधारणा/निर्दोष होने का अनुमान उपलब्ध रहेगी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ***2016 की आपराधिक अपील (ए न्या) संख्या 405 में एक अन्य समन्वय पीठ ने परमेश्वरी सिन्हा और अन्य बनाम बिहार राज्य सतर्कता विभाग के माध्यम से*** यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि लोक सेवक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा आय के अज्ञात स्रोत द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में जब्ती की कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है। यह उत्तरदाता का मामला नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी अर्थात् सुधा सिंह एक लोक सेवक हैं और यह उत्तरदाता का मामला नहीं है जिसने कहा कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। इसके अलावा, वर्तमान अपीलार्थी एक आयकर दाता भी है। चूंकि अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत दोषमुक्त होने पर जब्त की गई संपत्ति लौटाने का प्रावधान है, इसलिए यदि सतर्कता मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय के बिना विद्वान प्राधिकृत अधिकारी के आदेश को बरकरार रखे जाने पर भी कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। राज्य केवल संपत्ति का संरक्षक है और ज़ब्ती विशेष सतर्कता न्यायालय के समक्ष मुकदमे के परिणाम पर निर्भर है और चूंकि मुकदमा हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ ज़ब्ती की कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है।

8. हालांकि, सतर्कता विभाग की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि जब्ती की कार्यवाही तब भी जारी रखी जा सकती है जब लोक सेवक, जिसके खिलाफ आय के अज्ञात स्रोत से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, की मृत्यु हो गई हो क्योंकि जब्ती की कार्यवाही की प्रकृति मुख्य रूप से दीवानी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जब्ती कोई दंड नहीं है और इसलिए, इसे ऐसी कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है जो आपराधिक प्रकृति की हो। इस पहलू पर विद्वान अधिवक्ता ने मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ***योगेंद्र कुमार जयसवाल बनाम बिहार राज्य और अन्य (2016) 3 एस. सी. सी. 183*** में सूचित किया गया पर भरोसा किया। विद्वान अधिवक्ता ने

आगे कहा कि अधिनियम, 2009 की धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है जो अधिनियम, 2009 की धारा 5 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही से अलग है। यह तथ्य अधिनियम की धारा 14 और 15 को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि धारा 14 (1) के अंतर्गत जब्ती के लिए नोटिस देने के बाद, धारा 15 (3) के अंतर्गत केवल यह आवश्यक है कि प्राधिकृत अधिकारी इस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज करता है कि कोई भी संपत्ति अपराध के माध्यम से अधिग्रहित की गई है और उक्त अधिकारी घोषणा करता है कि ऐसी संपत्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर राज्य सरकार के अधिकार में जब्त हो गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे ***शिवशंकर वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (विजिलेंस) के माध्यम से, 2011 (3) पी एल जे आर 813*** में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा जताया, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यह माना कि अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर याचिका पर धारा 15 के आदेश द्वारा की गई कार्यवाही मुकदमेबाजी नहीं है। इस निर्णय में 1944 के दंड विधि संशोधन अध्यादेश, विशेष रूप से अध्यादेश की धारा 5 के साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य ग्रहण करने के तरीके के अनुसार साक्ष्य लेने का प्रावधान करता है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने ***यू. सुभद्रम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले (2016) 7 एस. सी. सी. 797*** में सूचित निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें वर्ष 2009 के अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही और 1944 के आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश के प्रावधानों के बीच समानता का उल्लेख किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि जब्ती की कार्यवाही जारी रखी जा सकती है, भले ही अभियोजन पक्ष को दोषी नहीं ठहराया गया हो।

10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2009 के अधिनियम के अंतर्गत जब्ती की कार्यवाही की प्रकृति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 के अंतर्गत जुर्माना लगाने के समान है और भले ही अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई हो, अपील समाप्त नहीं होगी।

विद्वान अधिवक्ता ने ***रमेशन (दिवंगत) एल. आर. बनाम केरल राज्य, आपराधिक अपील सं 77/2022 के आदेश दिनांक 21.01.2020*** के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जब जुर्माने की सजा कारावास की सजा के साथ दी जाती है, तो जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई की आवश्यकता होती है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन पर जोर दिया कि जहां अभियुक्त को कारावास के साथ-साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, ऐसे मामले में अपील को जुर्माने के खिलाफ अपील के रूप में माना जाना चाहिए और अपीलार्थी की मृत्यु के मामले में यह कम नहीं होगी। फिर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब्ती की कार्यवाही में जुर्माना लगाने के साथ-साथ सजा भी दी जाती है और जब्ती के खिलाफ अपील भी की जाती है कि अपीलकर्ता की मृत्यु के बाद भी आदेश को रद्द नहीं किया जाता है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि हर मामले में विधायिका की मंशा देखी जानी चाहिए और किन परिस्थितियों में वर्तमान अधिनियम लागू किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ***योगेंद्र कुमार जयसवाल बनाम बिहार राज्य*** और अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधिकारों की जांच की गई थी और बरकरार रखा गया था । विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2009 का अधिनियम लोक सेवकों की अवैध तरीकों से धन अर्जित करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अस्तित्व में लाया गया था और यदि तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को बंद कर दिया जाता है, तो यह केवल ऐसे बेईमान व्यक्ति को दंड से मुक्ति के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा, यदि कानूनी उत्तराधिकारी वर्तमान अपील में आदेश को उलटने में सफल हो जाते हैं, तो उनका संपत्ति का अधिकार बना रहता है और न्यायिक सिद्धांत *एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कम परसोना (व्यक्तिगत अधिकार की कार्रवाई व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है।)* — यह

सिद्धांत लागू नहीं होगा। अंततः, विद्वान अधिवक्ता ने ***रवि सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य, (2018) 11 एस.सी.सी. 242*** में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता था, जब कुर्की के अंतर्गत संपत्तियां आरोपी के हाथों में आ गई थीं, जो कानूनी प्रतिनिधियों में से एक था और जिसे इस तरह के मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, तो कुर्की आदेश को पूर्ण बनाने में गलती नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर, सतर्कता विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब्ती की कार्यवाही जारी रहेगी, अपील समाप्त नहीं होगी और इसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

12. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत सरल है। क्या लोक सेवक की मृत्यु के बाद वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ ज़ब्ती की कार्यवाही जारी रह सकती है, जिसके खिलाफ सतर्कता मामला हटाए जाने के बाद से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है, जबकि अन्य अपीलार्थी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में भी आरोपी नहीं थे और उस पर 2009 के अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई थी?

13. मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए, जिन पर दोनों पक्षों द्वारा दलीलें दी गई हैं, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत करना प्रासंगिक है। धारा 13, 14, 15 और 19 इस प्रकार हैं:-

*“**13. संपत्ति की जब्ती।- (1)** जहाँ राज्य सरकार के पास प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह मानने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने, जिसने सार्वजनिक पद धारण किया है या कर रहा है और जो लोक सेवक है या रहा है, ने अपराध किया है, वहाँ राज्य सरकार, चाहे विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या नहीं, लोक अभियोजक को*

इस अधिनियम के अंतर्गत उस धन और अन्य संपत्ति को जब्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जिसके बारे में राज्य सरकार का मानना है कि उक्त व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से अर्जित किया है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन -

(ए) एक या अधिक शपथपत्रों के साथ होगा, जिसमें उन आधारों को दर्शाया जाएगा जिन पर यह विश्वास किया गया है कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है और माना जाता है कि अपराध के माध्यम से अर्जित की गई अन्य संपत्ति की राशि और अनुमानित मूल्य; और

(बी) इसमें ऐसी किसी भी धनराशि और अन्य संपत्ति के स्थान के बारे में उपलब्ध कोई भी जानकारी भी शामिल होगी, और यदि आवश्यक हो, तो संदर्भ के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य विवरण भी दिए जाएंगे।

14. जब्ती के लिए सूचना।- (1) *इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है (जिसे आगे प्रभावित व्यक्ति कहा जाएगा) एक नोटिस भेजेगा जिसमें उसे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, जो सामान्यतः तीस दिनों से कम नहीं होगा, यह बताने के लिए कहा जाएगा कि उसकी आय, कमाई या संपत्ति का स्रोत,जिससे या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह आश्रित है, और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण, और यह कारण बताने के लिए कि ऐसा पूरा या कोई धन या संपत्ति या दोनों, अपराध के माध्यम से अर्जित घोषित क्यों न किया जाए और उसे राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाए।*

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दिया गया नोटिस किसी धन या संपत्ति या दोनों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति की ओर से

धारित किए जाने के रूप में निर्दिष्ट करता है, वहाँ नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी , प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, जानकारी और विवरण विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे में खंडन करने के लिए खुले होंगे बशर्ते कि ऐसा खंडन इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के निर्धारण और निर्णय के लिए मुकदमे तक ही सीमित होगा।

15. कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती . -

(1) प्राधिकृत अधिकारी, धारा 14 के अंतर्गत जारी कारण बतओ नोटिस और उसके सामने उपलब्ध सामग्रियों के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति को (और यदि यहां प्रभावित व्यक्ति के पास किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नोटिस में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, एक निष्कर्ष दर्ज कर सकता है कि क्या सभी या किसी अन्य धन या संपत्ति को अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया है।

(2) जहां प्राधिकृत अधिकारी विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बतओ नोटिस में निर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, लेकिन विशेष रूप से ऐसे धन या संपत्ति की पहचान करने में सक्षम नहीं है, तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों को निर्दिष्ट करे, जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं और तदनुसार, उप-धारा (1) के अंतर्गत एक निष्कर्ष दर्ज करे।

(3) जहां प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अंतर्गत इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करता है कि अपराध के माध्यम से कोई धन या संपत्ति या दोनों अर्जित किए गए हैं, तो वह घोषणा करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया जाएगाः

बशर्ते कि यदि जब्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा किया जाता है, तो संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा।

(4) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी का कोई भी हिस्सा राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी के संघ के अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार को ऐसे हिस्से के हस्तांतरणकर्ता के रूप में तुरंत पंजीकृत करेगी।

(5) उसके अध्याय के अंतर्गत धन या संपत्ति या दोनों की जब्ती के लिए प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा धारा-14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(6) इस धारा के अंतर्गत पारित ज़ब्ती का आदेश, धारा 17 के अंतर्गत अपील में पारित आदेश, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

19. जब्त किए गए धन या संपत्ति की वापसी.-

जहां धारा 15 के अंतर्गत किए गए ज़ब्ती के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपील में संशोधित या रद्द कर दिया जाता है या जहां प्रभावित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो धन या संपत्ति या दोनों को प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा और यदि संपत्ति को वापस करना

किसी भी कारण से संभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़ब्ती की तारीख से गणना की गई पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ इस तरह ज़ब्त किए गए धन सहित इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा।

14. अधिनियम के प्रावधानों को सरलता से पढ़ने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जब लोक सेवक, जिसके खिलाफ अवैध तरीकों से और आय के अज्ञात स्रोत से धन अर्जित करने का आरोप लगाया गया है, की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जब्ती की कार्यवाही जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रावधान में कुछ भी राज्य को उस लोक सेवक की मृत्यु के बाद भी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं देता है जिसके खिलाफ अधिनियम की धारा 14 (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा लोक सेवक के उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन या अन्य अपीलार्थी/विरोधी पक्ष के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है। जब वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध जब्ती की कार्यवाही जारी रखी जाती है, जबकि अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप उस लोक सेवक पर है जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, और जब यह आरोप नहीं है कि उक्त अपीलकर्ता/विपक्षी स्वयं लोक सेवक थीं या उन्होंने अपनी ओर से संपत्तियाँ अर्जित की थीं, तो ऐसे में किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में जब्ती की कार्यवाही जारी रखना न्याय का उपहास होगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो दंड प्रक्रिया संहिता में जुर्माना लगाने के प्रावधान के समान हो, जहाँ अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाने पर भी अपील समाप्त नहीं होती, और न ही ऐसी कोई व्यवस्था है जैसी कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 1944 के प्रावधानों में है, जिनका हवाला सतर्कता विभाग के अधिवक्ता द्वारा दिया गया है।

15. इस चरण पर, मैं सतर्कता विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई न्यायिक दृष्टांतों से वर्तमान मामले के तथ्यों और विधिक प्रावधानों को भिन्न करना चाहूंगा। यदि वैधानिक प्रावधान उस स्थिति में भी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं देते हैं जब वह लोक सेवक, जिसके विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, और जो

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा 2009 के अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे का सामना कर रहा था, की मृत्यु हो जाती है, तो ऊपर उद्धृत कोई भी न्यायिक निर्णय राज्य के पक्ष में सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्तुत मामला तथ्यों और कानून दोनों दृष्टियों से उन निर्णयों से भिन्न है। इसी प्रकार, दिवंगत लोक सेवक के कानूनी उत्तराधिकारियों को उसकी जगह पर प्रतिस्थापित कर जब्ती की कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता। साथ ही, यह तर्क कि 2009 के अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाहियाँ दीवानी प्रकृति की हैं, अधिक प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि 2009 का अधिनियम एक पूर्ण संहिता है, और जब वह ऐसी किसी स्थिति का प्रावधान नहीं करता है, तो यह न्यायालय ऐसा कुछ नहीं पढ़ सकता जो अधिनियम में है ही नहीं, और न ही ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है जिसे विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से विनिर्दिष्ट नहीं किया है। ***अतः शिव शंकर वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, सतर्कता विभाग के माध्यम से*** (उपरोक्त) मामले पर रखा गया विश्वास अनुचित है और यह इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता। इसी प्रकार, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***यू सुभद्रम्मा एवं अन्य*** (उपरोक्त) तथा ***रवि सिंन्हा एवं अन्य*** (उपरोक्त) मामलों पर जो भरोसा किया गया है, वह भी राज्य के लिए कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि दोनों ही मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। विशेष रूप से ***रवि सिंन्हा के मामले में,*** (उपरोक्त) यद्यपि वह कानूनी उत्तराधिकारी था, फिर भी वह स्वयं आरोपी भी था – यह परिस्थिति उसे इस मामले से भिन्न बनाती है। इसके अतिरिक्त, जब 2009 के अधिनियम की धारा 19 यह प्रावधान करती है कि विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमुक्त हो जाने या धारा 15 के अंतर्गत की गई कुर्की के आदेश के रद्द/संशोधित होने की स्थिति में संपत्ति या धनराशि को संबंधित व्यक्ति को लौटाया जाना है, तो यह स्पष्ट है कि जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है या अभियुक्त की मृत्यु के कारण दोषसिद्धि नहीं हो सकती, तो जब्ती का आदेश स्वतः समाप्त माना जाएगा। चूंकि अपील को मूलतः विचारण की

निरंतरता माना जाता है और अभियुक्त की मृत्यु के उपरांत भी निर्दोषता की विधिक धारणा बनी रहती है, जो मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, इसलिए राज्य की ओर से प्रस्तुत इस दलील में कोई दम नहीं है। राज्य द्वारा ***रामेशन*** (उपरोक्त) मामले पर किया गया भरोसा भी वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और स्पष्ट विधिक प्रावधानों के संदर्भ में अप्रासंगिक है। 2009 के अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर जब्ती के आदेश को जुर्माना के रूप में माना जा सके और उसे दिवंगत अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के विरुद्ध जारी रखा जा सके। अतः यह तर्क भ्रामक है और इस कारण अस्वीकृत किया जाता है।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, अपीलार्थियों के खिलाफ बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 14 (1) और (2) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बाद जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई थी। कार्यवाही के बाद, विद्वान प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति को जब्त करने के लिए लोक अभियोजक के माध्यम से राज्य द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी।चूँकि अपीलार्थी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में कभी भी आरोप नहीं लगाया गया था और मृतक-अपीलार्थी, मामले में एकमात्र आरोपी था, इसलिए लोक सेवक की मृत्यु के मामले में कार्यवाही को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, जिसने अवैध रूप से आय के अपने ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जब्त करने की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकी। इसके अलावा, कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन या विरोधी पक्ष के खिलाफ मुकदमे को जारी रखने के लिए कानून के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है जब लोक सेवक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कार्यवाही वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ जारी नहीं रह सकती है। इसलिए, संपत्तियों को जब्त करने के लिए वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ विद्वान प्राधिकृत अधिकारी के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सका क्योंकि क्योंकि यह अब प्रवर्तनीय नहीं रह गया है।

17. परिणामस्वरूप, विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-प्राधिकृत अधिकारी, विशेष न्यायालय संख्या 1, मुजफ्फरपुर द्वारा 5 अगस्त, 2013 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जब्ती वाद संख्या 06/2012 में अपीलकर्ता सुधा सिंह के विरुद्ध टिकने योग्य नहीं रह जाता और अपास्त किए जाने योग्य है, अतः इसे अपास्त किया जाता है।

18. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

19. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को तुरंत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

(अरूण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।